

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

—:अधिसूचना:-

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-213/2021-

पटना, दिनांक

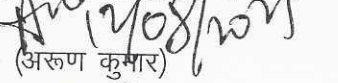
अगस्त, 2025

कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-3209 दिनांक-30.06.2025 के द्वारा बिहार कृषि सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी की सेवा गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी है। गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत उपलब्ध कराये गये बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारी द्वारा दिये गये योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	योगदान की तिथि	पदस्थापन हेतु पद/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री विनय कुमार पाठक	मधुबनी	04.08.2025	सहायक निदेशक (शष्प) योजना, ईख विकास, कार्यालय-संयुक्त निदेशक (शष्प), ईख विकास, बिहार, पटना।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझें जायेंगे।
3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 1199

पटना, दिनांक 12 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, गन्ना उद्योग विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक/श्री विनय कुमार पाठक, सहायक निदेशक (शष्प) योजना, ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अरुण कुमार)
अवर सचिव।